

प्रस्तुति 2क

(नियम 4 देखिए)

15
खास
१९३१५
२-१२-८७

नामनिर्देशन—पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 स्था भाग 2, इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग— 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता / पति का नाम

..... उसका डाक पता

..... उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट
विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 में क्रम सं0 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0
निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट में क्रम सं0 पर प्रविष्ट है।

तारीख (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग— 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए ४० जम्हूरी (अ. ६१०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम जम्हूरी दास

पिता/माता/पति का नाम रौष्णन दास

उसका डाक पता ग्राम-परका-पो-दुलमपुर चाना-पकाई जिला-जम्हूरी

उसका नाम ४० जम्हूरी - संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * (में समाविष्ट अ. ८४१) विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक २८८ में क्रम सं0.८९२ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विषिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	243 अकाई	288	898	लाल भौद्धन दास	लाल भौद्धन १९/३/१५	१९/३/१५
2	243 अकाई	288	900	देशरथ दास	देशरथ १९/३/१५	१९/३/१५
3	243 अकाई	288	954	अन्नु महतो	अन्नु महतो १९/३/१५	१९/३/१५
4	243 अकाई	288	952	लटु आदव	लटु आदव १९/३/१५	१९/३/१५
5	243 अकाई	288	976	किशोर किस्कु	किशोर किस्कु १९/३/१५	१९/३/१५
6	243 अकाई	288	920	ओड़िन्द्र दास	ओड़िन्द्र दास १९/३/१५	१९/३/१५
7	243 अकाई	288	910	वासुदेव कुमार दास	वासुदेव कुमार दास १९/३/१५	१९/३/१५
8	243 अकाई	288	994	अर्जुन दास	अर्जुन दास १९/३/१५	१९/३/१५
9	243 अकाई	288	1003	रामजी आदव	रामजी आदव १९/३/१५	१९/३/१५
10	241 जमुई	225	764	शश्वतुशरण सिंह	शश्वतुशरण सिंह १९/३/१५	१९/३/१५

कृपया ध्यान दें :— प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग— 3

मैं भाग 1 / भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने 61 एक्स 6 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।
(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

या
अनुमति पायी औंक दृढ़िया मार्क्सिस्ट लेफ्टिनेंट (लिफ्ट)

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है । मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) तीन तारों वाला अंडा (ii) तीन तारों वाला अंडा (iii) तीन तारों वाला अंडा है ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **जार्ति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लिंगार... राज्य के उस राज्य में के स्थान् (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित लिंगार... **जार्ति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 19/3/2014

२५/३/२०१४
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :— “मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन,) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग— 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम— 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है : या
- हाँ/ नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया जाया है। ००२५२१
- यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक
(ii) पुलिस थाना (थाने)
जिला (जिले)
राज्य

(iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)
(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

११२१ बट्टी ०१२१ द्वे
लग्नपक्षा द्वा

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियाँ) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : मौहू/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टयां :- 23/21
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- 23/21
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित हैं 23/21
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) 23/21
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति अनुमति कार्यालय 23/21

स्थान :-

तारीख :-

ज्ञानप्रकाश (दस्तावेज़)
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग— 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम संख्या— 15 यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में 19.03.2014 तारीख, को 2.12 ११५ बजे, *अभ्यर्थी / प्रस्थानवर्क द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 19.03.2014

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग— 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)

(नियम ४क देखिए)



निर्वाचन क्षेत्र से

४० जमुई संसदीय

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - क

मैं, जगप्रकाश दास ** पुत्र/पत्नी/पत्नी द्वोषभन दास आयु ६१ वर्ष, जो ग्राम-परिका

१० दुलमधुर भाग अमृत जिला अमृत (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं कृष्णनिस्ट पार्टी आज इंडिया (भारतीय लिबरेशन (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अभ्यर्थी/ **पक्ष स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम बिहार राज्य के चक्रवाच

(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. २४५ के कम सं. ८९२ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9955235737

है/ हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) X है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

पैन नं. ३८५९१३७६८ F

क्रम सं.	नम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर उपदर्शित कुल आय (रुपए में)	विवरणी में
1.	स्वयं	X	X	X	
2.	पति या पत्नी	X	X	X	
3.	आश्रित - 1	X	X	X	
4.	आश्रित - 2	X	X	X	
5.	आश्रित - 3.....	X	X	X	

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। X

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। X

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	X
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	X
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	X
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	X
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	X

(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	X
-----	--	---

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :- [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	X
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	X
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	X

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है : X

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	X
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	X
(ग)	अधिरोपित दंड	X
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	X

(7) मैं मेरे, मेरे पति / पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी:-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
2. जमा / विनिधान की दिषा में कम सं0, रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और षाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
3. सूचीबद्ध-कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/षेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दिषा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पश्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र.सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	20000 पाँच हजार	X	X	X	X
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	350/- मात्र 581/- पाँच सौ एक रु. 337/-	+ + + 309,237			
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / षेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	X	+ +	+ +	+ +	+ +
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	1.0 50000 पाँच	+ +	+ +	+ +	+ +

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक <u>ऋण/अग्रिम</u> और <u>ऋणियों</u> से अन्य प्राप्त तथा रकम	X	X	X	X	X
(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ याट/ पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	X	X	X	X	X
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	10 gm 250 gm	मोना X वार्डी	X	X	X
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	30000 60 12500	X	X	X	
(ix)	समग्र कुल मूल्य	A2500	एप्पली 11 K छागलित रुक्कार वार्डी हमेशा			

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी:-

- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	रुक्कार 100-48 (रुक्कार 100-53) एप्पली 43	- +	X	X	X
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	6 एकड़	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	25	X	X	X	X
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	12/11 2013	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	30000 रुपये	X	X	X	X

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
(ii)	गैर-कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	मुक्ता लाला पृष्ठ	X	X	X	X
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	3240 पृष्ठ	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	21	X	X	X	X
	स्वार्जित संपत्ति की दषा में क्रय की तारीख	21/4 2013	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दषा में)	30000 पृष्ठ	X	X	X	X
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	30000 पृष्ठ	X	X	X	X
(iii)	<u>वाणिज्यिक भवन</u> (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	X	X	X	X	X
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	X	X	X	X	X
	स्वार्जित संपत्ति की दषा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दषा में)	X	X	X	X	X
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(iv)	<u>आवासीय भवन</u> (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण	X	X	X	X	X

	संख्यांक (संख्याएँ)	X	X	X	X	X
	क्षेत्र वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	X	X	X	X	X
	स्वअर्जित संपत्ति की दषा में क्रय की तारीख	X	X	X	X	X
	क्रय के समय संपत्ति की लागत (क्रय की दषा में)	X	X	X	X	X
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	X	X	X	X	X
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	372500 (ए०)	X	X	X	X

तीन लाख छह सौ उत्तर इंडिया (प्रत्येक)

- (8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को षोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
 (टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र. सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या षोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	X	X	X	X	X
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या षोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	X	X	X	X	X
	कोई अन्य दायित्व	X	X	X	X	X

	दायित्वों का कुल योग	X	X	X	X	X
(ii)	सरकारी षोध्य :	X	X	X	X	X
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को षोध्य	X	X	X	X	X
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	X	X	X	X	X
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	X	X	X	X	X
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य	X	X	X	X	X
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को षोध्य	X	X	X	X	X
	आयकर षोध्य	X	X	X	X	X
	धनकर षोध्य	X	X	X	X	X
	सेवाकर षोध्य	X	X	X	X	X
	नगरपालिका / संपत्ति कर षोध्य	X	X	X	X	-X
	विक्रय कर षोध्य	X	X	X	X	X
	कोई अन्य षोध्य	X	X	X	X	X
(iii)	सभी सरकारी षोध्य का कुल योग	X	X	X	X	-X
(iv)	क्या काई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें ।	X	X	X	X	X

- (9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : पत्नी
 क. स्वयं रखती
 ख. पति या पत्नी रखती

(10) मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिए अनुसार है :

ठाकी मद्दा तड़ ~~रिया~~



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विष्वविद्यालय विकास के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

ट्री. डी. एन.ए.पी. विकास उच्चविद्यालय विद्यकोड़वा ते पहाड़
भाग-ख दि वर्च १९६७ तर्फ

(11) भाग क के (1) से (10) में तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम - जनरल प्राइमरी शास्त्री	श्री/श्रीमती/कु
2.	डाक का पूरा पता ग्राम-चरका फौर्हुला तुर्खारा	पहाड़ जिला जामुर्द
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य ५० जनपुरी लोक सभा विधान	जनपुरी राज्य लोक सभा विधान
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कर्मचारी नगर पाली उपनिवेश विधान सभा लोक सभा विधान
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	+
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	+
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिश्ट अपराधों के सिवाए]	+
7.का स्थायी लेखा सं	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है
(क) अभ्यर्थी	+	+
(ख) पति या पत्नी	+	+
8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)		+

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) ख.	स्थावर आस्तियां तोना चांदा 42500 रुपये 6 लाख 12.5% 30000 रुपये अनुमानित 30000 रुपये		X	X	X
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत					
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो) की	X		X	X	X
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)		X	X	X	X
9	दायित्व					
(i)	सरकारी षोध्य (कुल)	X			X	X
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	X	X	X	X	X
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं (i)	सरकारी षोध्य (कुल)	X		X	X



(ii)

बैंक,
संस्थाओं
अन्य से ऋण
(कुल)

वित्तीये
और
ऋण

उच्चतम ऐक्षिक अर्हता:

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विष्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और वर्श जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

11

X

X

X

11
246
9.3.14

गवर्नर कक्षा के लिए
दिन 19.6.19

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तत्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....

19.3.14

को सत्यापित किया।

Sri/Smt.
who is identified by Sri/Smt.

Advocate Solemnly affirmed and

declared before me.

Nareesh Yadav Adm
19-3-2014

J.K.R. SINGH जनकपुरा २१८५
NOTARY-JAMUI अभिसाक्षी
Regd. No. 90J12001

- नोट:-
1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक दफ्तर किया जाना चाहिए।
 2. शपथपत्र पर किसी षपथ कमिजर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष ली जानी चाहिए।
 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारिति 'छून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

नोट 5 : अन्यर्थीयों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं0 121-रिसर्जेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक

13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 : शपथ-पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए:-

"मेरा टेलीफोन नं 9955235737 है/हैं,
मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) X है,
और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) A है।"